



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-30.01.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त छांगुर पुत्र रामचन्द्र पटेल को उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 03 वर्ष के कारावास व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 228/2000 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त छांगुर पुत्र रामचन्द्र पटेल निवासी चांदीतारा थाना अलीनगर, चन्दौली को थाना रामनगर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30-01-2024 को मा0 न्यायालय ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त छांगुर पुत्र रामचन्द्र पटेल उपरोक्त को धारा-3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के अधीन 03 वर्ष के सश्रम कारावास से व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी